(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1309–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–03–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार गुढ़ जिला–रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 29/अ–74/2007–08 एवं 10/बी–121/2013–14

.....

1. श्रीनिवास विश्वकर्मा तनय स्व0 श्री रामनिहोर विश्वकर्मा
2. लक्ष्मी निवास विश्वकर्मा तनय स्व0 रामनिहोर विश्वकर्मा,
3. शंकर प्रसाद विश्वकर्मा तनय स्व0 रामनिवास विश्वकर्मा,
4. रामावतार विश्वकर्मा तनय स्व0 श्री रामनिवास विश्वकर्मा,

सभी निवासी–ग्राम गुढ़, तहसील गुढ़, जिला– रीवा, म0प्र0,
..... आवेदकगण

विरूद्ध

सूर्यप्रसाद विश्वकर्मा तनय श्री रामकुमार विश्वकर्मा
निवासी–ग्राम गुढ़, तहसील गुढ़, जिला– रीवा, म0प्र0,
..... अनावेदक

.....

श्री अवधेश सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अरविन्द पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14–7–2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार गुढ़, जिला–रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–03–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 75/अ–74/2010–11 आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2013 जिसके द्वारा ग्राम गुढ की भूमि ख0नं0 149/2 रकबा 0.20 ए0 पर तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 29/अ–74/2007–08 आदेश दिनांक 20–2–08 को निरस्त कर उभय पक्ष की विधिवत सुनवाई कर आदेश देने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। कलेक्टर के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर उभय पक्ष को सूचना जारी की। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात तहसीलदार ने आदेश दिनांक 06–3–2014 के द्वारा तहसील न्यायालय का पूर्व आदेश निरस्त कर दिनांक 20–2–08 के पूर्व की स्थिति अनुसार भूमि कमांक 149 की नक्शा तरमीम संशोधित किये जाने के आदेश दिये। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत कर बताया कि तहसीलदार गुढ़ द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है क्योंकि कलेक्टर रीवा द्वारा दिनांक 20–02–2008 के आदेश को मात्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि अनावेदक को सुनवायी को विधिवत अवसर नहीं दिया गया है। इसी कारण उनके द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित कर दिया गया था कि वे उभय पक्षों को सुनकर विधि अनुसार कार्यवाही करें, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई वैधानिक कार्यवाही किए ही दिनांक 20–02–2008 के पूर्व की स्थिति के अनुसार नक्शा तरमीम संशोधित कर दिये जाने का अवैधानिक आदेश दिये गये। आवेदक अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि अनावेदक द्वारा बटवारे में मिले हिस्से व कब्जे के विपरीत नक्शे में अवैधानिक रूप से 149/2 पश्चिम तरफ अंकित करा लिया गया और 149/1 पूर्व तरफ दर्शित करा दिया गया और इसी शुद्ध नक्शे तरमीम को आधार बनाकर आवेदकगण के विरूद्ध व्यवहार वाद क्र0 189ए/2006 प्रस्तुत

किया गया, जिसमें विधिवत विचारण उपरांत दिनांक 02.04.2007 को निर्णय व डिक्री पारित की गई और वादी सूर्यप्रकाश का दावा निरस्त कर दिया गया। उसके बाद सूर्यप्रकाश की ओर से निर्णय व डिक्री दिनांक 02.04.2007 को चुनौती देते हुये द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में नियमित सिविल अपील क्र0 41ए/2007 प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 14.09.2007 को निरस्त कर दी गई है तथा दीवानी न्यायालयों द्वारा स्पष्ट रूप से यह मान्य किया गया है कि उभय पक्ष के बीच बंटवारा 40 वर्ष पूर्व हो गया था और उस बटवारे में अनावेदक को 0.20 भूमि के पूर्व की तरफ मिली थी तथा पश्चिमी हिस्सा आवेदकगण को प्राप्त हुआ था। यह भी तर्क किया कि अनावेदक के पिता रामकुमार द्वारा ही अपने हिस्से के कुछ भाग मंदिर बनाने के लिए दान में दे दिया गया था तथा मंदिर के अलावा सामने का शेष बचा भाग पर हरिजन महिला ने अतिक्रमण कर रखा है, इसी कारण दीवानी न्यायालय द्वारा यह मान्य किया गया है कि राजस्व न्यायालय द्वारा नक्शे में गलत तरमीम की जाकर अनावेदक का हिस्सा पश्चिम तरफ दर्शा दिया गया है, जबकि उसे बटवारे में पूर्वी हिस्सा मिला हुआ था, पश्चिम हिस्सा आवेदकगण को मिला हुआ था, जिसमें उनका कब्जा दखल है। दीवानी न्यायालय द्वारा उपरोक्त आशय के निकाले गये निष्कर्ष के आधार पर आवेदकगण की ओर से तहसीलदार, तहसील गुढ़ जिला रीवा के न्यायालय में नक्शा सुधार किये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो प्र0क0 29/अ–74/2007–08 के रूप में पंजीबद्ध किया गया था। तहसीलदार द्वारा दीवानी न्यायालय के निष्कर्ष को मान्य करते हुए दिनांक 20.02.2008 को आदेश पारित किया जाकर 149/2 पूर्व तरफ तथा 149/1 पश्चिम तरफ नक्शें में दर्ज किए जाने का निर्देश दिया गया था, जो पूरी तरह से विधिसंगत था, किन्तु उसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा भूल की गई है। अतः तहसीलदार आदेश दिनांक 06.03.2014 निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति उठाते हुये तर्क किया कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी पेश की जो दिनांक 10–7–09 को निरस्त की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी पेश की गई जो प्रकरण कमांक निग0 1015–तीन/09 आदेश दिनांक 05–10–2013 द्वारा निरस्त हुई है, जिसका लेख निगरानीकर्ता ने निगरानी में नहीं किया, यह तथ्य छुपाया है। यह भी तर्क किया कि तहसीलदार ने वरिष्ठ न्यायालय कलेक्टर एवं राजस्व मण्डल के आदेशों के कम में कार्यवाही कर आदेश पारित किया हैं जो उचित है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

5/ प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक ने प्रत्युत्तर में कहा कि निगरानीकर्ता ने अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त तथा तत्पश्चात राजस्व मण्डल में निगरानी की थी जो निरस्त हुई थी तथा उन प्रकरणों में यद्यपि निगरानी निरस्त हुई थी तथा दोनों न्यायालयों के अनुसार कलेक्टर के आदेश के अनुसार तहसीलदार को कार्यवाही करना चाहिए थी, परन्तु तहसीलदार ने कलेक्टर के आदेश का पूर्णतया पालन नहीं किया तथा तहसीलदार के पूर्व आदेश दिनांक 20–2–2008 को निरस्त कर निगरानी को बिना पूरी तरह सुने तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना ही 20–2–2008 के पूर्व की स्थिति अनुसार नक्शा तरमीम करने का आदेश दिया।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार का आदेश दिनांक 20–2–2008 निरस्त कर कलेक्टर ने प्रकरण उभय पक्ष को सुन कर विधि अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था। अपर आयुक्त ने कलेक्टर के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। तहसीलदार द्वारा किया गया विचाराधीन आदेश अन्तिम स्वरूप का है जो कि अपील योग्य है। अतः इस

आदेश के विरूद्ध अपील की जानी चाहिए थी, निगरानी नहीं। अतः प्रकरण में गुण–दोषों के आधार पर किसी प्रकार का निष्कर्ष किए बगैर निगरानी निरस्त की जाती है। आवेदक यादि चाहे तो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विधिवत अपील कर सकता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर